IN THE COURT OF THE DISTRICT MAGISTRATE AND COLLECTOR, JAMUI
FORM OF ORDER SHEET
दाखिल खारिज रिविजन वाद सं0--21/2013
पुतुल देवी वगैरह
बनाम
माया गुप्ता वगैरह

Serial no.	Date of order or proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
1	2	3	4
	23.09.2016	आदेश यह पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्ता पुतुल देवी पति--जुगल पासवान एवं अन्य ग्राम--टेलवा टोला--बनगावाँ पो0--खुरण्डा थाना--सिमुलतला जिला--जमुई के द्वारा निम्न न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई के दाखिल खारिज अपील वाद सं0--13/11--12 माया गुप्ता वगैरह बनाम पुतुल देवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.9.13 के विरूद्ध लाया है और इस पुनरीक्षण का आधार यह रखा है कि उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई ने बिना Limitation का आवेदन प्राप्त किये इस वाद में आदेश पारित किया है। उन्होंने दूसरा आधार यह रखा है कि विद्वान उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई ने मात्र इस आधार पर अंचल अधिकारी, झाझा के दाखिल खारिज वाद सं0--1142/2010--11 में पारित आदेश को निरस्त कर दिया है कि उभय पक्ष के बीच स्वत्व वाद सक्षम न्यायालय के समक्ष चल रहा है जबकि अभिलेख पर उस स्वत्व वाद के संबंध में कोई कागज संलग्न नहीं है। निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं इस पुनरीक्षण आवेदन का अवलोकन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के कथन को सुना। पुनरीक्षणकर्ता ने अपने पुनरीक्षण आवेदन की कंडिका 13 एवं 14 में यह लिखा है कि स्वत्व वाद के संबंध में निम्न न्यायालय के अभिलेख पर कोई आवेदन की प्रति संलग्न नहीं है और ना ही इस स्वत्व वाद में दाखिल खारिज पर रोक का कोई आदेश पारित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि पुनरीक्षणकर्ता यह स्वीकार कर रहे हैं कि उभय पक्ष के बीच में प्रश्नगत भूमि पर स्वत्व वाद लंबित है। इसी तरीके से निम्न न्यायालय में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने जवाब की कंडिका 14 में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है। ऐसी परिस्थिति में निम्न न्यायालय के आदेश में संशोधन करना या निरस्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि स्वत्व वाद की विषयवस्तु भूमि का दाखिल खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उभय पक्ष को यह आदेश दिया जाता है कि उनके मध्य चल रहे स्वत्व वाद	

870

सं0–75/08 सब जज, जमुई न्यायालय के निष्पादन के उपरान्त ही दाखिल खारिज के लिए अंचल अधिकारी के यहाँ आवेदन दें।

आदेश की प्रति सभी संबंधित को भेजें। L.C.R. निम्न न्यायालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहर्त्ता,
जमुई।